

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.59.एसीटीपी / डीएलबी / समान्य-द्वितीय(58) / 18 / 4146 दिनांक: 17/01/19

—:कार्यालय आदेश:—

राज्य सरकार पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 के तहत राज्य के नगरीय निकायों के माध्यम से आम नागरिकों से संबंधित विभिन्न कार्यों का निस्तारण किया गया था। राज्य सरकार के स्तर पर यह तथ्य नोट किया गया है कि पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत लगभग 11 लाख भूखण्डों से संबंधित प्रकरण/ले-आउट प्लान्स स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से प्रशासन शहरों के संग अभियान की समाप्ति तक लगभग 5 लाख लोगों को ही पट्टे जारी किये गये थे व लगभग 58,000 पट्टे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर-2017 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं एवं शेष स्वीकृत प्रकरणों/ले-आउट प्लान में पट्टे जारी नहीं हो सके। अतः उक्त संबंध में एतद्वारा समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियानों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों/ले-आउट प्लानों में शेष स्वीकृत विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार तालिका में सूचना अविलम्ब ई-मेल के माध्यम से (dlbrajasthan@gmail.com /ctpdlb@gmail.com पर) भिजवाये जाने का श्रम करें।

क्र. स.	कार्य का नाम	पूर्व में स्वीकृत प्रकरणों की संख्या		पूर्व में जारी हो चुके प्रकरणों की संख्या		शेष लम्बित प्रकरणों की संख्या
		ले-आउट प्लान की संख्या	भूखण्डों की संख्या	ले-आउट प्लान की संख्या	भूखण्डों की संख्या	
1.	कृषि भूमि नियमन के तहत पट्टे					
2.	स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे					
3.	कच्ची बस्ती नियमन					
4.	भवन निर्माण अनुमति					
5.	उपविभाजन/पुर्नगठन					

4
(मुकेश कुमार मीणा) शक
अतिरिक्त निदेशक विभाग

क्रमांक: एफ.59.एसीटीपी / डीएलबी / समान्य-द्वितीय(58) / 18 / 4147-54 दिनांक: 17/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
6. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों से सूचना संकलित कर निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से (dlbrajasthan@gmail.com /ctpdib@gmail.com पर) प्रेषित करें।
7. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(Handwritten Signature) 17/01/2019

(आर.के. विजयवर्गीय)

मुख्य नगर नियोजक

मुख्य नगर नियोजक

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग

राजस्थान सरकार, जयपुर